



Neutral Citation No. - 2026:AHC:129120

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 16405 वर्ष 2026

शाद उर्फ छंगाआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : आशीष कुमार तिवारी

विपक्षी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति

1. पूर्व आदेश दिनांक 21.05.2026 के अनुपालन में, विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने एक्स-रे रिपोर्ट और अनुपूरक चिकित्सा रिपोर्ट प्राप्त कर ली है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
3. वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र, आवेदक द्वारा मुकद्दमा अपराध संख्या 16 वर्ष 2026, भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1), 3(5), थाना- बुढ़ाना, जिला- मुजफ्फरनगर में जमानत पर रिहाई की मांग करते हुए दाखिल किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। घायल की एक्स-रे रिपोर्ट के अनुसार, कोई असामान्यता नहीं पाई गई। अनुपूरक

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



चिकित्सा रिपोर्ट के अनुसार, सभी चोटें साधारण प्रकृति की पाई गईं। यह आगे तर्क दिया गया है कि घायल के शरीर पर चाकू का एक ही घाव था। चोट संख्या 2 और 3 खरोंच और नील थीं। घायल के शरीर पर बार-बार वार नहीं किया गया था, इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि आवेदक का घायल की मृत्यु कारित करने का कोई आशय था। आवेदक के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1) के अंतर्गत कोई अपराध नहीं बनता है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता आगे तर्क देते हैं कि आवेदक 21.04.2026 से जेल में निरुद्ध है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।

5. इसके विपरीत, विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि अपराध में उसकी संलिप्तता के संबंध में आवेदक के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य हैं, इसलिए, वह जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।
6. मैंने पक्षों के परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है और पत्रावली का अवलोकन किया है।
7. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों, आरोपों की प्रकृति, पत्रावली पर लाए गए साक्ष्य, आवेदक द्वारा काटी गई कारावास की अवधि, किसी भी आपराधिक इतिहास की अनुपस्थिति पर विचार करने के उपरांत तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय पाता है कि आवेदक ने जमानत प्रदान करने का मामला बनाया है।
8. तदनुसार, जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
9. उपर्युक्त मुकद्दमा अपराध में संलिप्त आवेदक- शाद उर्फ छंगा को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बंधपत्र और उसी समान राशि की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व, प्रतिभूतियों का सत्यापन किया जाए:

(i) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र दाखिल करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित होंगे तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के उल्लंघन की

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए यह खुला होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

(ii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष निर्धारित प्रत्येक तिथि पर या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति के मामले में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-ए / भारतीय न्याय संहिता की धारा 269 के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।

(iii) यदि, विचारण के दौरान आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय विधि के अनुसार, उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए / भारतीय न्याय संहिता की धारा 209 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

(iv) आवेदक (1) मामले के आरंभ होने, (2) आरोप तय होने और (3) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 के अंतर्गत बयान दर्ज होने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना किसी पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय के लिए इस तरह की चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने और विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का विकल्प खुला रहेगा।

10. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत निरस्त करने का आधार होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से विद्वान विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



25 जून, 2026

ए.पी. पाण्डेय

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"